



एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 110/2006

आवेदकगण/अपीलार्थीगण:

1. श्रीमती मिथिला दुबे, पति स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे, आयु लगभग 37 वर्ष,
2. पारसमणि दुबे (अवयस्क), आत्मज स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे, आयु लगभग 17 वर्ष,
3. कु. खुशबू दुबे (अवयस्क), आत्मज स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे, आयु लगभग 13 वर्ष,
4. ऐश्वर्य दुबे (अवयस्क), आत्मज स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे, आयु लगभग 11 वर्ष (क्र. 2 से 4 अवयस्क, प्रतिनिधित्व द्वारा माता एवं नैसर्गिक अभिभावक श्रीमती मिथिला दुबे, स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे), सभी निवासी ग्राम छुरी, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) । वर्तमान निवासी एफ-438, सी.एस.ई.बी. कॉलोनी, जेलगांव, तह. कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

विरुद्ध

अनावेदकगण/प्रत्यर्थीगण:

1. श्रीमती शांति बाई, पति स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे, आयु लगभग 39 वर्ष,
 2. विनोद कुमार, आत्मज स्व. प्रेमराज राजेश्वर दुबे, आयु लगभग 19 वर्ष
- दोनों निवासी ग्राम-कोनकोना, पुलिस थाना-बांगो, तह. कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा-115 सहपठित भारतीय उत्तराधिकार

अधिनियम 1925 की धारा-388(3) के अंतर्गत प्रस्तुत सिविल पुनरीक्षण ।



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

दिनांक 17/11/2006

आवेदकों की ओर से श्री आर.के. केशरवानी, अधिवक्ता।

अनावेदकों की ओर से श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता मय श्री मनीष अग्रवाल अधिवक्ता ।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. केशरवानी ने निवेदन किया कि इस पुनरीक्षण की अंतिम सुनवाई ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही की जाए।

इस निवेदन का विरोध अनावेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी.

अग्रवाल द्वारा नहीं किया गया ।

सुनवाई की गई।

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मृतक प्रेमराज राजेश्वर दुबे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा (पश्चिम) में चपरासी के पद पर कार्यरत था। उसने अपने सेवा अभिलेख में आवेदकों अर्थात् अपनी पत्नी एवं बच्चों को नामिती के रूप में नामित किया था । दिनांक 7.4.2004 को उसकी मृत्यु होने पर विभाग ने आवेदकों से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जिन्होंने उत्तराधिकार प्रकरण क्र. 16/2004 में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 1, कटघोरा, जिला कोरबा के समक्ष भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया । अनावेदकों ने इस आधार पर आवेदन का



विरोध किया कि अनावेदक-शांति बाई मृतक प्रेमराज की पत्नी थीं जिन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व अनावेदकों के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी।

विद्वान व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 कटघोरा ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक मिथिला दुबे मृतक की विधिक रूप से विवाहित पत्नी थीं और आवेदक क्र. 2 से 4 मृतक की संतान थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनावेदक क्र.1 शांति बाई मृतक की विधिक रूप से विवाहित पत्नी नहीं थीं और अनावेदक क्र.2 विनोद मृतक का पुत्र नहीं था तथापि मृतक द्वारा वसीयत का निष्पादन प्रेमराज द्वारा अनावेदकों के पक्ष में स्थापित पाया गया। इसमें यह भी विचार में लिया गया कि आवेदक-मिथिला दुबे ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया था कि वह अपने पति प्रेमराज के साथ विवाह के पश्चात केवल पाँच वर्ष की अवधि तक साथ रही थीं और तत्पश्चात वह लगभग 11 वर्षों से अपने बच्चों के साथ अपने मायके में पृथक् रूप से निवास कर रही थीं और इस अवधि के दौरान उसका अपने पति के साथ कोई संबंध नहीं था। इन आधारों पर विद्वान व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, कटघोरा ने अनावेदकों के पक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से राशि रुपये 210023/- प्राप्त करने हेतु एक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया।

उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदकों ने जिला न्यायाधीश कोरबा के समक्ष विविध सिविल अपील क्र. 02/2006 प्रस्तुत की। जिला न्यायाधीश कोरबा ने पक्षकारों



द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की एक विस्तृत विवेचना के पश्चात व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, कटघोरा द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. केशरवानी यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहे हैं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग या तो अवैध रूप से किया है या तात्त्विक अनियमितता के साथ किया है। अनुप्रमाणक साक्षी राम लाल और एक और साक्षी गणपत सिंह परिसाक्ष्य के आधार पर अनावेदकों के पक्ष में मृतक द्वारा वसीयत के निष्पादन का निष्कर्ष दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उचित रूप से तथ्य पर विचार किया है कि कि मिथिला दुबे अपने पति(मृतक) से पृथक हो गई थीं और 11-12 वर्षों से मायके में रह रही थी ।

अनावेदकों के पक्ष में मृतक द्वारा वसीयत के निष्पादन को इस प्रकार अनावेदकों द्वारा प्रथम दृष्टया साबित किया गया है। इस प्रकार अभिलेख पर ऐसा कुछ नहीं है जो प्रदर्शित करे कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अधिकारिता का प्रयोग या तो अवैध रूप से या तात्त्विक अनियमितता के साथ किया है। ऐसा होने से, यह सिविल पुनरीक्षण ग्राह्यता के चरण में ही खारिज किए जाने योग्य है ।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत कार्यवाहियाँ संक्षिप्त प्रकृति की होती हैं। धारा-373 उपखंड (3) के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की पात्रता का विनिश्चय करते समय न्यायालय को प्रथम दृष्टया उसमें सर्वोत्तम स्वत्व पर विचार करने की आवश्यकता होती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम



1925 की धारा-372 के अंतर्गत एक आवेदन का विनिश्चय करते समय न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुँचने की आवश्यकता होती है कि किन पक्षकारों का उन प्रतिभूतियों के संबंध में जिनके लिए प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है, प्रथम दृष्टया सर्वोत्तम स्वत्व है। अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित करता है कि अनावेदक-क्र.1 शांति बाई लंबे समय से प्रेमराज के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही थीं। इस तथ्य के दृष्टिगत कि आवेदक मिथिला दुबे ने स्वीकार किया था कि वह मृतक से 11 वर्षों की अवधि से अधिक समय से पृथक थीं और उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं था, शांति बाई के पक्ष में मृतक द्वारा वसीयत का निष्पादन जो मृतक के साथ कई वर्षों से रह रही थीं, प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होता है। प्रकरण के इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष कि अनावेदकों का उनके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया सर्वोत्तम स्वत्व था दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। श्री आर.के. केशरवानी विद्वान अधिवक्ता के लिए आवेदकों ने कथन किया है कि आवेदकों ने अनावेदकों के विरुद्ध एक घोषणा कि प्रेमराज राजेश्वर दुबे द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 05.03.204 शून्य और अकृत है तथा आवेदकगण मृतक प्रेमराज राजेश्वर दुबे के विधिक उत्तराधिकारी हैं एवं आक्षेपित आदेशों के निष्पादन के विरुद्ध स्थायी व्यादेश प्रदान किये जाने के लिए एक व्यवहार वाद क्र. 17-ए/1996 प्रस्तुत किया है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा-387 के अनुसार किन्हीं पक्षकारों के मध्य अधिकार का कोई प्रश्न जो भारतीय उत्तराधिकार





अधिनियम 1925 की धारा-372 के अंतर्गत किसी आवेदन पर विनिश्चित किया गया हो, उन्हीं पक्षकारों के मध्य किसी वाद या किसी अन्य कार्यवाही में उसी प्रश्न के विचारण के लिए वर्जन के रूप में प्रवृत्त नहीं होता है। आवेदकगण सिविल वाद क्रमांक 17-ए/1996 में समुचित विधिक उपचार हेतु निवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आवेदकगण द्वारा यह प्रदर्शित करने में विफल रहने पर कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अधिकारिता का प्रयोग अवैध था या तात्विक अनियमितता के साथ था, सिविल पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है। परिणामस्वरूप, यह सिविल पुनरीक्षण गुण-दोषहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत, अंतरिम आदेश प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन एम.

(सी).पी. क्र. 1325/2006 भी खारिज किया जाता है।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।